

**कार्यालय,
लघु, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश संकनज।**

3040- संसद भेद

संख्या- आरिप/प्रथमिक शिक्षा/2020/3170

लगातार दिनांक: 14-8-2020

1-कार्यालय द्वारा-

प्रथमिक शालाओं/उच्चमैत्री शिक्षा परिषद, एवं मेलनी/प्राथमिक शालाओं/उच्चमैत्री शिक्षा परिषदों द्वारा संश्लेषित वर्ष 2020-21 हेतु विद्यार्थी आरिप/उच्चमैत्री शिक्षा परिषदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने की वरता प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संकनज से सम्बद्धता/सम्बद्धता दिखाने प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आरिप/प्रथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संकनज की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय हुआ कि 2020-21 हेतु आरिप/उच्चमैत्री शिक्षा परिषदों को सम्बद्धता/पूर्ति में सम्बद्धता दिखाने की सम्बद्धता/सम्बद्धता/प्रदान करने हेतु दिनांक 07-8-2020 को पर विचार कराते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

एक से अधिक में सम्बद्धता दिखाने की वरता को 20-8-20 दिनांक को इन कार्यों को सम्बद्धता दिखाने के लिए प्रदान किया गया है। सम्बद्धता दिखाने हेतु प्रत्येक विद्यालय-विद्यालय में निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

“सत्र 2020-21 हेतु प्रस्तावित होने वाली विद्यार्थी संख्या/विद्यार्थी पीपीसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पीपीसीआईए अनुमोदन पर जो आसार पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संख्याओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संख्या में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीपीसीआईए/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संख्या की सम्बद्धता किरा किरा रूप में संश्लेषित कर दी जाएगी।”

एक निम्नलिखित स्थिति संख्या को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा किये गए निर्णय से आसार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संकनज द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत सम्बद्धता दिखाने के लिए आरिप/उच्चमैत्री शिक्षा परिषदों को प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संख्या का नाम	सम्बद्धता का नाम	पीपीसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया गया	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया गया
1	उच्चमैत्री शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संकनज/उच्चमैत्री शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संकनज	उच्चमैत्री शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संकनज	55	55

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संख्या पीपीसीआईए/पीपीसीआईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संख्या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संकनज द्वारा प्राथमिक शिक्षा परिषद/उच्चमैत्री शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संकनज द्वारा निर्धारित शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी जो अनुमोदन प्रदान करने हेतु आवश्यक होगी।
- ✓ संख्या को निर्धारित संख्याओं द्वारा निर्धारित शुल्क लेना होगा। इसके माध्यम से हेतु 100-20,000/- प्रतिदिन, जो निर्धारित शर्तों के अनुसार हेतु 100-20,000/- प्रतिदिन एवं एक साथ दो वर्षों के माध्यम से (दो वर्षों के लिए) यात्रा शुल्क में प्रतिदिन हेतु 100-20,000/- प्रतिदिन शुल्क की वसूली होगी/प्रदान की जाएगी/किया जाएगा। संकनज से निर्धारित उत्तर/प्रस्तावों में शुल्क की वसूली/प्रदान करने के लिए प्रदान होगा। निर्धारित शुल्क को उत्तर प्राथमिक शिक्षा परिषद/उच्चमैत्री शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संकनज को प्रदान किया जाएगा।

संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उड़ीसी तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उड़ीसी द्वारा बनाने वाले नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ विधायक इन कार्रवाई कार्यक्रम की संख्या बढ़ी थी जो आई. आई. दिल्ली से अनुमोदित प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इन संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात टाकर किया जाता है तथा टाकर बाट के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधायक इन कार्रवाई कार्यक्रम प्रेषित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सश्रुत द्वारा जारी कर के लिए अधीनस्थ प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग बाध्य होने के पूर्व पी.सी.ई.ओ. से अनुमोदित प्राप्त कर परिषद कार्रवाई को उपस्थित कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश को (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सी.पी.ई.सी.) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत न्यायालय आदेश निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाओं जैसे संस्था की ऐतिहासिक मुष्टि भूमि, स्टाफ, मात-सहजा, उपकरण, ज्ञान किया जाने वाला भुला, परामर्श भुला आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपर्युक्त आवश्यक उपकरण बनाने के साथ शिक्षण सत्रों के सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था मुनिस्थित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित न्यूनतम कार्यक्रम को बनाई जाने हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपकरण बनाई गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, कर्मियों उपलब्ध इत्यादि का उचित संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान किया जाना है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रदान किया अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किने जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के सम्बन्धित निदेशों द्वारा यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्यावरण उपकरण एवं अन्य मात-सहजा (आदेशों/निर्देशों/विनियमों/परिषद के मात-सहजा उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किया जाने अथवा नहीं का उपलब्ध किया जाने की स्थिति में विभागाध्यक्ष अनुपालन/असमर्थता कार्यवाही को जायेगी।

(सुनील कुमार जैनकर)

अधिस

पू0रं0- अधिस/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

पता/संपर्क:-

ANANTRAJ INSTITUTE OF PHARMACY-N-2 AKBARPUR KANPUR DEHAT (UP) 205101.



(सुनील कुमार जैनकर)

अधिस

अंतिमी एवं तिथिही का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्था का ए0आइ0आर0टी0आई0पी0आर0एच0 से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था अंतरराष्ट्रीय संस्था का होगा और विधिगत रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। वाणिज्यिक शिक्षा परिषद, अनुसूक्त प्रदेश परिषद परिषद, वाणिज्यिक शिक्षा निदेशालय एवं वाणिज्यिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के लिखत यदि कोई पाठ दायर किया जाता है तथा दायर पाठ के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपत्ति स्वयंभूत संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को अनुसूक्त प्रदेश परिषद परिषद, उत्तर प्रदेश संघोदक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व ए0आइ0आर0टी0आई0पी0आर0एच0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपस्थित करना होगा अन्यथा उन्हें कार्य की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रदेश परिषद के आधार पर सीधे कार्य) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशानुसार नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक दृष्टि भूमि, स्टाफ, छात्र-अध्यक्ष, उपकरण, आगत किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु अनुसूक्त आयोग/उपस्थित करने के साथ रेगुलर रोलने के सम्बन्ध में संस्था आयोग/उपस्थित सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में चयनित/संघोदक पाठ्यक्रम को धारण करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपस्थित कराये गये अभिलेख, भूमि-अवल, कार्यचर, उपकरण सुबादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य गठन/उपस्थित के माध्यम से प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बन्धता समाप्त करने जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, अवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य गठन/उपस्थित ए0आइ0आर0टी0आई0पी0आर0एच0/परिषद के अनुसूक्त/आदेशों के अनुसार उपस्थित नहीं पाये जाता है तो संस्था की सम्बन्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धता जारी का अनुपालन में किये जाने संस्था शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निचलानुसार अनुसूक्त/आदेशों कार्यवाही की जायेगी।



(एन0आर0टी0आई0पी0आर0एच0)

सचिव

पू0सू0- परिषद/परिषद सम्बन्धित/2022/7818-0455

दिनांक: 30/08/2022

पता:-

पञ्जाबाई/विशेष ANANTRAJ INSTITUTE OF PHARMACY



(एन0आर0टी0आई0पी0आर0एच0)

सचिव

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- प्राशिया/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-05-2023

कार्यालय हार्द:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संकेत सं० 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्ध दिनांक 24-07-2023 एवं दिनांक 03-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रवेश अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा विर.गण्ड.निरंज के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का बौद्धिक एवं नाम : 3040/ANANTRAJ/INSTITUTE OF PHARMACY			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एच.आई.सी.टी.ई.ई/ पी.सी.आई. द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता शर्तें/शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के उच्च संख्या 311/15-3029/3023 टी.सी.टी-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संस्था संस्थाओं की शर्तों के विरुद्ध नानवीय न्यायालय से प्रतिक रिट प्रारिक्त संख्या 5027-5023 में नानवीय न्यायालय के अतिरिक्त निर्णय के अधीन सम्बद्धता स्वीकृत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के प्रवेश के अनुक्रम संस्था में प्रवेश संसाधन (धूमि, भवन, बैंक उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद संकेत 1982 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद विदित/संख्या 1982, विदित/संख्या-2000, सेक्टर विनिर्देश/संख्या-2018 एवं संघ-संख्या 02-निरंज शासन/संख्या का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारित क्षमता हेतु निर्धारित मुक्त ही प्रवेश प्रक्रियाओं से प्राप्त किया जाएगा। शासन के अतिरिक्त संस्थाओं से मुक्त के सम्बन्ध में संस्था-संख्या पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासन/संख्या 2023-24 हेतु, और अनुक्रम संस्थाओं किताबें प्रदान करवाया जाएगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा संकेत सं० 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो प्रवेश की नवीनतम डेटे लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश की ही प्रवेश किया जाएगा।
- ✓ संस्था को समस्त-समस्त पर निर्णय शासन/संख्या के अनुक्रम निर्देशों एवं सम्बद्धता मुक्त बना करवाया जाएगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय विनिर्देश/संख्या-2018/विदित/संख्या-2000/सेक्टर विनिर्देश/संख्या-2018 एवं संघ-संख्या 02-निरंज शासन/संख्या का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारित क्षमता हेतु निर्धारित मुक्त ही प्रवेश प्रक्रियाओं से प्राप्त किया जाएगा। शासन के अतिरिक्त संस्थाओं से मुक्त के सम्बन्ध में संस्था-संख्या पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासन/संख्या 2023-24 हेतु, और अनुक्रम संस्थाओं किताबें प्रदान करवाया जाएगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा संकेत सं० 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो प्रवेश की नवीनतम डेटे लागू होगी।

- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यवाही कार्यालय और इंडिया, न्यू दिल्ली से अनुदान मिलने का आकांक्षित है तो इस संबंध में समस्त उपरदायित संस्था का होगा और वैश्विक रूप से किसी भी संस्था को के लिए संबंधित रूप उपरदायित होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा नियंत्रण एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उच्च स्तर मानकों के विरुद्ध यदि कोई बात उठाने का इच्छा है तो उचित रूप से उस संबंध में न। समस्त द्वारा किसी प्रकार की परिपूर्ति संबंध आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च स्तर तकनीकी द्वारा संबंधित रूप से लिए अपेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयित संस्था होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यवाही कार्यालय और इंडिया, न्यू दिल्ली से अनुदान प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपरदायित कराना होगा अन्यथा उस प्रवेश की अनुवर्ति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उच्च स्तर सरकार द्वारा प्रवेश हेतु संघ-सम्बद्ध विधि संबंधित अन्य उचित विधायी का अनुदान प्राप्त करना आवश्यक होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा सोशल मिडिया के 30 ग्राहक प्रोटेक्ट पर संस्था को समस्त सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुरे भूमि स्तर, साज-सजा उपकरण, माप किया जाने वाला सूत्र, इत्यादि का विवरण उपरदायित कराना होगा।
- ✓ संस्था को विवरण-प्रतिफल हेतु उपरदायित उपरदायित करने के साथ साथ संस्था के संबंध में समस्त आन्तरिक प्रदायित सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था एक सुनिश्चित हो से कि संस्था में समाहित/संचालित उपकरण का खर्च होने हेतु निरीक्षण समिति के सदस्य उपरदायित कराने के अतिरिक्त भूमि-मकान कर्नाकर, उपकरण खर्चों का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य उपकरण के खर्च में उभरने का इच्छा है और परिषद की इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरीक्षा का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उच्च स्तर प्राविधिक शिक्षा (समिति) और उपसमिति, संस्थाओं का समस्त किया जाना विवरणों: 1604 के प्राधिधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कार्यवाही: अपने और ऊपर की परिषद को परीक्षा के संस्थान के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के अक्षर स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, सामग्री, उपकरण एवं अन्य साज-सजा एवं-उपरीक्षा/परीक्षा/परीक्षा/परीक्षा परिषद के अनुरोधानुसार उपरदायित नहीं करा जाये है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता मारो का अनुदान न मिले जाने अथवा मारो का उत्तरण किए जाने की स्थिति में निदानानुसार अनुदान/उपकरण कार्यवाही की जायेगी।


 (अनीत कुमार मिश्र)
 सचिव

प्रा.सं. प्राधिपा/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091330

दिनांक: 12-09-2023

प्राधिका:

प्रधानाचार्य/निदेशक ANANTRAJ INSTITUTE OF PHARMACY


 (अनीत कुमार मिश्र)
 सचिव